नए राज्यों की मांग में क्षेत्रीय आकांक्षाओं की भूमिका

Mangal Deo,
Research Scholar,
Deptt. of Political Science ,
University of Delhi

भारत में स्वतंत्रता के साथ ही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार की बाधाएँ और चुनौतियाँ का उभार हुआ। ये बाधाएँ और चुनौतियाँ न केवल औपनिवेशिक शासन का परिणाम है अपितु भारत की विभिन्न प्रकार की विविधताओं का प्रतिबिंब भी है। भारत एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ विभिन्न धर्मों, सम्प्रदायों, संस्कृतियों, समूहों, भाषायी, जातियों और जनजातियों के मध्य विविधता पाई जाती है। पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर में विविधताओं का सकेंद्रण देखा जा सकता है। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत की संस्कृति एवं विविधता को बनाए रखने हेतु देश को एक मजबूत और सशक्त राष्ट्र बनाना संविधान निर्माताओं का मर्म था, जिससे देश में एकता और अखण्डता को सुरक्षित रखा जा सके। भारत एक सुरक्षित, मजबूत व संगठित राष्ट्र रहे, इसको ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्था व संरचना की आवश्यकता महसूस की गई जो कि विविधताओं, जिसका परिलक्षण क्षेत्रीय आकाक्षांओं के रूप में हुआ, के मध्य सामंजस्य बैठा सके और समायोजन की ओर अग्रसर हो सके तथा सबको उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सकें। ऐसी संभावना संघीय प्रणाली व्यवस्था में ही संभव दिखाई पड़ती है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत में संसदीय व्यवस्था के साथ साथ एकात्मक और संघात्मक शासन के अभिलक्षण को मुख्य आधार स्वीकार करते हुए संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया। क्षेत्रीय आकांक्षाओं के समायोजन हेतु ही नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया को न केवल आसान बनाया गया अपितु ये अधिकार संसद को दिया गया।

वस्तुतः क्षेत्रीय आकांक्षा एक ऐसी अवधारणा है जिसके तहत किसी वशिष्ठ भौगोलिक क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक पहचान के आधार पर सामूहिक चेतना का विकास होता है, जो सामान्तया क्षेत्र विशेष की भाषा में अभिव्यक्त किया जाता है, और ये आकांक्षाएं स्थानीय जनता या शासकों को संबोधित की जाती हैं। इसका आधार भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति, पहचान, पिछड़ापन एवं विचारधारा भी होती है। प्रो0 रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक 'पॉलिटिक्स इन इण्डिया' में क्षेत्रीय आकांक्षा को देश के समक्ष एक चुनौती के रूप में मानते हैं। इनका तर्क है कि इससे राज्यों का संघ से अलग होने, स्वयत्तता की मांग और पृथकता की भावना बलवती होती है।

स्वतंत्रता के बाद से लेकर आज तक भारत में क्षेत्रीय आकांक्षाओं की प्रकृति कुछ निश्चित मांगों और कुछ विषयों तक ही सीमित रही जिससे इसकी प्रकृति को परिभाषित किया जा सकता है, जो इस प्रकार है–

क. सामाजिक, धार्मिक और भाषायी पहचान के आधार पर राज्य का निर्माण

ख. भाषायी पहचान और केंद्र के साथ तनाव,

ग. क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप राज्य का निर्माण

घ. आदिवासी पहचान के आधार पर अलगाववादी मांग,

ड. राज्य के अंदर क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग और,

च. राज्यों द्वारा विशेष वित्तीय आबंटन की मांग।

विविधताओं से परिपूर्ण भारत का प्राचीन काल से लेकर मध्य काल तक कभी भी एकीकरण नहीं हुआ लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ एकता का भाव प्रथम बार देखा गया। इस एकता की प्रवृत्ति अधिक समय तक एकीकृत नहीं रह सकी। परिणामस्वरूप स्वतंत्रता के पश्चात् से ही इन्हीं विविधताओं के आधार पर क्षेत्रीय आकांक्षाएं उभरने लगीं। किसी भी लोकतांत्रिक देश में क्षेत्रीय आकांक्षाओं का उभार एक स्वाभाविक घटना है। भारत में भी क्षेत्रीयता एक स्वाभाविक परिघटना का ही परिणाम है जिसके कुछ महत्त्वपूर्ण कारक हैं– भाषायी कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक, धार्मिक कारक, संजातीयता, संस्कृति व जनजातीय कारक।

ऐतिहासिक विकास

भारत में नये राज्यों की मांग सर्वप्रथम 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में उठी थी, जो भाषा के आधार पर थी, जिसे तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष ऐनी बेसेन्ट ने उस मांग को यह कहकर खारिज कर दिया था कि केवल भाषा के आधार पर छोटे राज्य बनाने की सिफारिश नहीं की जा सकती है। महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक छोटे राज्य बनाने के पक्षधर थे। 1927 में पुनः मांग उठायी गयी। जिस पर अंग्रेज सरकार 1928 में जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में पहली समिति बनायी थी, लेकिन सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में एकत्रित हों। 1928 में साइमन कमीशन ने भी इसका विरोध किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिन्दू महासभा के भाई परमानन्द ने सबसे पहले संयुक्त प्रान्त अर्थात् उत्तर प्रदेश के बंटवारे की मांग की थी।

1947 में देश स्वतंत्र होने के बाद भाषा के आधार पर नये राज्यों की मांग उठने लगी, जिस संदर्भ में 1948 में एस0 के0 दर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया और नेहरू, पटेल व पट्टाभी सीतारमैया, तीन सदस्यीय समिति का भी गठन किया गया। लेकिन इन समितियों ने भाषा के आधार पर नये राज्यों के गठन के विरूद्ध अपना मत व्यक्त किया। इसी समय अलग आन्ध्र प्रदेश की मांग को लेकर पोट्टी श्रीरामालु के आमरण अनशन के दौरान हुई मृत्यु के पश्चात् भाषा के आधार पर नये राज्य की घोषणा की गई, जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ। भाषायी आधार पर नये राज्यों की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार द्वारा फजल अली की अध्यक्षता में दिसम्बर 1953 में आयोग का गठन किया गया। आयोग ने नये राज्यों के पुनर्गठन के लिए चार आधार रखे, जिनमें राज्यों की एकता और सुरक्षा पहला आधार था। भाषा और संस्कृति, वित्तीय स्रोत व प्रशासन तथा पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने की क्षमता अन्य आधार थे। आयोग ने लगभग एक लाख लोगों व अनेक संस्थाओं से बात करके 19 माह बाद 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें 19 राज्यों व तीन संघीय राज्य बनाने की सिफारिशें की गयी थी।

फजल अली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, जिसमें 14 राज्य व चार संघीय क्षेत्रों का गठन किया गया, जो इस प्रकार था– उत्तर प्रदेश, प0 बंगाल जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, असम, बिहार की सीमाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना और हैदराबाद को जोड़ा गया

था जिसकी आयोग ने सिफारिश नहीं की थी, क्योंकि आयोग ने तेलंगाना को अलग राज्य बनाने की सिफारिश की थी। भाषायी आधार पर गठित अन्य राज्य 1960 में गुजरात जो महाराष्ट्र से, 1966 में हरियाणा–पंजाब से, 1963 में नागालैण्ड, 1970 में त्रिपुरा–मणिपुर, 1971 में हिमाचल का गठन किया गया। वहीं अलग सांस्कृतिक विविधता के आधार पर 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से, उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से और झारखण्ड बिहार से अलग कर तीन नये राज्यों का गठन किया गया।

नये राज्यों के मांग की यह प्रक्रिया यही नहीं स्थगित हुई, अपितु आज भी कई छोटे छोटे राज्यों की मांग की जा रहीं है, लेकिन आज नये राज्यों की मांग के पीछे भाषायी आधार नहीं, बल्कि पिछड़ापन सबसे महत्त्वपूर्ण कारक हैं। आज तेलंगाना के गठन को लेकर जिस प्रकार का राजनीतिक नाटक हो रहा है, इससे यह सिद्ध होता है कि नये राज्यों की मांग को राजनीति किस स्तर तक प्रभावित कर रही है।

वर्तमान में नये राज्यों की मांग भारत के विभिन्न भागों से उठ रही है, जिसमें प्रमुख हैं– बोडोलैण्ड असम में, गोरखालैण्ड–प0 बंगाल में, विदर्भ– महाराष्ट्र में, कुर्ग– कर्नाटक, सौराष्ट्र–गुजरात, मरू प्रदेश– राजस्थान और उत्तर प्रदेश के हरित प्रदेश, पूर्वांचल, बुंदेलखण्ड तथा भोजपुर जैसे राज्यों की मांग उठती रहती हैं। जिसे किसी न किसी क्षेत्रीय राजनीतिक दल द्वारा राजनीतिक, आर्थिक आकांक्षाओं से जोड़कर नये राज्य की मांग की जा रही है। भारत में क्षेत्रीय आकांक्षाएँ लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग हैं, जो सामान्यतः क्षेत्र विशेष की भाषा में अभिव्यक्त होती रही हैं, इस संदर्भ में भारतीय विविधता को देखते हुए, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को अपनाया गया है। लोकतंत्र में क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति की अनुमति दी है, जिसे राष्ट्र–विरोधी नहीं माना जाता। स्वतंत्रता के बाद से ही क्षेत्रीय आकांक्षाएँ किसी न किसी रूप में उभरती रहीं हैं। कभी कहीं भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग, तो कहीं अलग संस्कृति और पहचान के आधार पर, और कहीं आर्थिक पिछड़ेपन को क्षेत्रीय आकांक्षा से जोड़कर नये राज्यों की मांग की जा रहीं है। उत्तर प्रदेश के विभाजन की मांग भी क्षेत्रीय राजनीति को परिलक्षित करता है।

वर्तमान में भारतीय राजनीतिक परिस्थितियों और बढ़ती क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की भूमिका का विश्लेषण किया जाये तो नये राज्यों की मांग में राजनीतिक दल द्वारा ही हवा दी जा रहीं है, अब तेलंगाना के बाद जहाँ भी नये राज्यों की मांग हो रही है, वह किसी न किसी क्षेत्रीय राजनीति दल द्वारा ही उठाई जा रहीं है। स्वतंत्रता के बाद से नये राज्यों की मांग के पीछे किसी न किसी क्षेत्रीय राजनीतिक दल की ही भूमिका रहीं है, वह चाहे आंध्र प्रदेश हो, जिसकी मांग पोट्टी श्रीराममालू द्वारा हो या वर्तमान तेलंगाना के गठन के पीछे के0 चंद्रशेखर राव की तेलंगाना राष्ट्र समिति की भूमिका हो। अन्य प्रमुख नये राज्यों की मांग को निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता हैः–

हरित प्रदेश– पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों को मिलाकर अलग प्रदेश बनाने की मांग बहुत पुरानी है। कभी गंगा प्रदेश, कभी दोआबा तो कभी हरित प्रदेश के नाम से यह मांग विभिन्न राजनीतिक दलों मुख्यतः राष्ट्रीय लोकदल द्वारा ही उठाई जाती रही है। पिछले 22 वर्षों से इन क्षेत्र में उच्च न्यायालय की खंडपीठ के लिए भी लगातार क्रमिक अनशन चल रहा है।

कुर्ग प्रदेश– कर्नाटक में अलग कुर्ग राज्य बनाने जाने की मांग पचास साल से चल रही है। अलग संस्कृति, भाषा और भौगोलिक परिस्थितियों के नाम पर कुर्ग प्रदेश बनाने की मांग कर्नाटक के क्षेत्रीय राजनीतिक दल कर रहें है। कुर्ग के तहत आने वाले जिलों के लोगों का कहना है कि

विकास की दृष्टि से उनके साथ 50 वर्षों से भेदभाव होता आ रहा है।

मिथिलांचल– बिहार के एक हिस्से में मैथिली भाषा बोलने वालों की संख्या 4 करोड़ बताई जाती है। इस हिस्से को भाषायी आधार पर अलग पहचान दिलाने के लिए अलग मिथिलांचल राज्य के गठन की मांग चल रही है। मुंगेर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मधेपुरा, सीतामढ़ी और वैशाली जिलों को अलग करके मिथिलांचल बनाने की मांग के समर्थन में अब बड़े राजनीतिक दल भी उतर रहे हैं।

सौराष्ट्र–गुजरात के इस क्षेत्र को अलग करके सौराष्ट्र के गठन की मांग हालांकि ज्यादा मुखर कभी नहीं रही, लेकिन अब राज्य के कई राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे को हवा देना शुरू कर दिया है। सौराष्ट्र की मांग करने वालों का कहना है कि गुजरात से अलग इस क्षेत्र की अपनी संस्कृति और परंपराएं हैं, इसे अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए।

बुंदेलखण्ड– उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई जिलों को अलग कर बुंदेलखण्ड बनाने की मांग भी काफी पुरानी है। विकास की दृष्टि से यह इलाका इतना पिछड़ा हुआ है कि जब कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी इस इलाके के दौरे पर गए तो उन्हें भी कहना पड़ा कि बुंदेलखण्ड का विकास अलग राज्य बनाकर ही हो सकता है। फिलहाल कांग्रेस इस मांग पर अपना रूख स्पष्ट नहीं कर रहीं है। बुंदेलखण्ड कांग्रेस नामक क्षेत्रीय राजनीतिक दल द्वारा ही बुंदेलखण्ड के लिए आंदोलन किये जाते रहे है।

तुलुनाडू– केरल और कर्नाटक के जिन हिस्सों में तुलु भाषा बोली जाती है, उन्हें अलग कर नया राज्य बनाए जाने की मांग चल रही है। इस क्षेत्र के लोगों का कहना है कि तुलु भाषा कर्नाटक के दूसरे हिस्सों में नहीं बोली जाती, इसलिए केरल और कर्नाटक का यह हिस्सा अलग पहचान के लिए जाना जाता है। केरल सरकार ने तो तुलुभाषी लोगों की भावनाओं को देखते हुए तुलु साहित्यिक अकादमी का भी गठन कर रखा है।

कौशल राज्य– ओडीशा के पश्चिमी हिस्से के जिलों को अलग करके कौशल राज्य बनाए जाने की मांग चल रहीं है। संभलपुर, संदरगढ़, बलांगीर, सोनपुर, कालाहांडी, देवगढ़, झारसुगुड़ा और अनुगुल जिलों को कौशल राज्य में शामिल करने के लिए कौशल क्रांति दल नामक क्षेत्रीय राजनीतिक दल निरंतर संघर्ष कर रहा है। ओडीशा के इस हिस्से में कौशली भाषा बोली जाती है।

विदर्भ– महाराष्ट्र के इस क्षेत्र को भी विकास के दृष्टिकोण से बहुत पिछड़ा कहा जाता है। इस हिस्से में देश के सर्वाधिक किसानों ने आत्महत्या की है। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योगों के अभाव के कारण विदर्भ महाराष्ट्र का सबसे पिछड़ा इलाका है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रीय दल विदर्भ को अलग बनाए जाने की लड़ाई लड़ रहे हैं।

लद्दाख– जम्मू–कश्मीर में लद्दाख संभाग की अलग पहचान और संस्कृति है। लद्दाख को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग काफी वक्त से चल रहीं है। एनडीए के शासनकाल में इस मांग पर उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने सैद्धान्तिक तौर पर सहमति जताई थी लेकिन जम्मू–कश्मीर के राजनीतिक दलों के भारी विरोध के चलते लद्दाख को व्यापक जनसमर्थन नहीं मिला।

ग्रेटर कूच बिहार– पश्चिमी बंगाल के कई हिस्सों को मिलाकर ग्रेटर कूच बिहार बनाए जाने की मांग भी देश में चल रही है। पश्चिम बंगाल के इस क्षेत्र की भाषा–संस्कृति और रीति–रिवाज राज्य के दूसरे हिस्से से अलग है। यह बात भी अलग है कि कभी ग्रेटर कूच बिहार की आवाज पश्चिम बंगाल से बाहर नहीं आई। राज्य में वामदलों की सरकार ने तो कभी इस मांग को अहमियत ही नहीं दी।

पूर्वांचल– पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस हिस्से में 35 जिलों को अलग करके पूर्वांचल राज्य बनाए जाने की मांग चल रही है। बिहार और नेपाल की सीमा से लगा यह क्षेत्र विंध्याचल तक फैला हुआ है, जो छत्तीसगढ़ और झारखण्ड के एक हिस्से को भी छूता है। राजनीतिक दलों का कहना है कि आर्थिक दृष्टिकोण से यह क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, जिसका भला केवल नए पूर्वांचल राज्य के बनने पर ही हो सकता है। जनवादी पार्टी नामक क्षेत्रीय राजनीतिक दल द्वारा पदयात्रा के माध्यम से पूर्वांचल की मांग को हवा दी जा रही है।

बृहत् झारखण्ड– अलग झारखण्ड राज्य के गठन के बाद झारखण्ड मुक्ति मोर्चा ने अब अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता की वजह से बृहत् झारखण्ड की मांग रख दी है। इस नए राज्य में ओडीशा के कई जिले, बिहार के चार जिलों के साथ पश्चिम बंगाल के कई जिलों को मिलाकर बृहत् झारखण्ड बनाने की मांग शिबू सोरेन ने शुरू कर दी है। उनका कहना है कि उनकी लड़ाई बृहत् झारखण्ड के गठन के बाद ही खत्म होगी।

गोरखालैण्ड– इसी साल केंद्र और पश्चिमी बंगाल सरकार ने गोरखा हिल काउंसिल को और अधिक स्वायत्तता देने का समझौता किया है। गोरखा मुक्ति मोर्चा का कहना है कि अलग राज्य की मांग अभी खत्म नहीं हुई है। अलग गोरखालैण्ड की मांग 35 वर्षों से चल रहीं है। फिलहाल केन्द्र सरकार ने गोरखालैण्ड क्षेत्रीय परिषद् का गठन करके मामले को ठंडा कर रखा है।

भोजपुर– पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखण्ड के कई जिलों को मिलाकर भोजपुर राज्य बनाने की मांग चल रही है। भोजपुरिया जनमोर्चा इस आंदोलन को चला रहा है, लेकिन किसी भी बड़े राजनीतिक दल का इस आंदोलन को समर्थन नहीं मिल रहा। भोजपुरी भाषा बोलने वाला यह हिस्सा आर्थिक और क्षेत्रीय विकास के तौर पर पिछड़ा है।

मरू प्रदेश– पश्चिम राजस्थान के नौ जिलों तक विकास की रोशनी नहीं पहुँच पाई है, लिहाजा जब तक मरू प्रदेश नहीं बनता, इस इलाके का भला नहीं हो सकता। बीते 20 वर्षों से मरू प्रदेश के लिए आंदोलन चला रहे जयवीर सिंह गोदारा कहते है कि भाजपा जैसे राष्ट्रीय दल के नेता भी उनके आंदोलन का समर्थन करते रहे हैं।

बोडोलैण्ड– अखिल बोडो छात्र संघ सहित कई राजनीतिक संगठन असम के कई हिस्सों को भाषायी, संस्कृति और परंपराओं की पहचान कायम रखने के लिए पृथक बोडोलैण्ड की मांग कर रहे हैं। बोडोलैण्ड की मांग ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी छोर से लेकर अरूणाचल प्रदेश से लगे इलाकों तक है।

इस प्रकार नये राज्यों की मांग और उसके कारणों की विवेचना की जाये तो नये राज्यों का गठन केवल राजनीतिक कारणों से किसी न किसी क्षेत्रीय राजनीतिक दल द्वारा ही राजनीतिक कारणों से ही उठाई जा रहीं है, लेकिन केवल राजनीतिक मांग के आधार पर नये राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए, नही तो भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में 50 से अधिक नये राज्यों की मांग उठने लगेगी, आज आवश्यकता है द्वितीय राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाए, जिसके रिपोर्ट के आधार पर प्रशासनिक सुविधा, भौगोलिक स्वरूप और प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर ही नये राज्यों का गठन किया जाना चाहिए।

REFERENCES

1. Ambedkar, B.R. 'Thoughts on Linguistic States',First Publish-1955.
2. Kumar, Ashutosh[edited]; 'Rethinking States Politics in India –

Region within regions',Routledge,New Delhi – 2011.

3. Kothari, Rajni, 'Politics in India', Orient Longman, New Delhi, 2000.
4. Khilaani, Sunil, 'The Idea of India' [Adbhut Bharat], Raj Kamal Publication, New Delhi, 2010
5. Kumar. B.B., 'Small State Syndrome in India', Redmas Book Limited, New Delhi, 2005
6. Sen, Amartya, and Dreze, Jean, 'India Development Selected Regional Prospective', Rajpal Publication, Delhi.
7. Chand, Vijay Sherry, 'A report on demand for creation of Small States in India',04 Jan.,2010.E.P.W.
8. Subramanyan, K, 'Case for Smaller States'.
9. Rao, C.H. Hanumantha, 'Regional Disparities Smaller States and Statehood for Telengana', Academic Foundation, New Delhi – 2010.
10. Tillin, Louise, 'Remapping India: New States and their Political Origins', Hurst and Company London, 2013.
11. Singh, M.P. and Saxena, Rekha, 'Indian Politics constitutional foundation and institutional functionary', PHI Learning Pvt. Ltd. New Delhi, 2011
12. Chandok, Neira, Contemporary India : Political, Economic and Social, Pearson Publication, New Delhi, 2011
13. Chandra, Bipin, 'India, after Independence', Hindi Madhyam, Nideshalay- Delhi University, New Delhi, 2010.
14. Chandra Bipin, 'History of Modern India', Orient Blackswan, New Delhi, 2013. P. 302